

Sub Registry Office, Darbhanga

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 416

RTPS No.:-
030112131002200417

चूंकि श्री HARSH MADIWALA ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित संव्यवहारों और अवमारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/1993 से ता० 19/02/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है-

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण पत्र सं०	तारीख	विवरण	प्रमाण पत्र सं०	तारीख
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	6441	0
3	DARBHANGA SADAR CHAKNARGAUNA KATHALWARI	NA	6431,6438,6439	3 KATTHA 14 DHUR. 95 DHURKI		0

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-
नाम -RAMKRISHNA THAKUR
RECORD KEEPER

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम -KAPIL KUMAR CHOUDHARY
OFFICE SUPERINTENDENT

कार्यालय -

Sub Registry
Office, Darbhanga

तारीख - 21-02-2022

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तब प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार फये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं संपत्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निम्न अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का मुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने मरसक साक्ष्यानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा दूँटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक- 416 दिनांक- 21/02/2022

शाखा प्रबंधक NANAK DEVELOPERS के पत्र दिनांक 19/02/2022 के अंश में प्रेषित।

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

NANAK DEVELOPERS
Singh
Partner